

न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 39/24

निर्णय दिनांक 30/8/24

सरकार जरिये

बनाम

श्री. ~~पत्रावली~~ मांगराज सिंह पटवारी

पटवार हल्का गोविन्दपुर

राजधानी चित्तौड़गढ़
2024

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम गोविन्दपुर पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री पत्रावली ने तहसील बेगूँ के ग्राम राजधानी में स्थित आराजी नम्बर 857/649 रकबा 0-48 किस्म वेप पर दोराने सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को पत्रावली अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।


अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।


मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम राजधानी में स्थित खसरा नम्बर 857/649 रकबा 0-48 किस्म वेप भूमि से वेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 3-00 रु. का 50 गुणा राशि 150/- रुपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय वमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

मांग कायमी 91 पें 100 फ.नी 1440
योग 1596 वर्ष 2024 के रा.ले. पंजिका 04
में पेज संख्या 1 पर की गई।


उप तहसीलदार
बेगूँ



तहसील राजस्व लेखाकार
बेगूँ

